कार्यालय जिला पंचायत, बैतूल जिला बैतूल

क्रमांक-जि.पं./2009 बैतूल, दिनांक 30.05.2009

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 एवं संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक) के लिये नियोजन हेतु विज्ञापन

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथ 19.06.2009

व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा दिनांक 10.08.2008 को आयोजित "**संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2008**" में अर्ह पाये गये अभ्यार्थियों से निम्नलिखित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय अंतर्गत विद्यालयों में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय का नाम	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
1.	जनपद पंचायत, बैतूल	सं.शा.शि.श्रेणी-3	12	11	04	04	31
		सं.शा.शि.श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक)	03	01	01	-	05
2.	जनपद पंचायत, शाहपुर	सं.शा.शि.श्रेणी-3	19	18	06	07	50
		सं.शा.शि.श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक)	02	01	01	-	04
3.	जनपद पंचायत, घोड़ाडोंगरी	सं.शा.शि.श्रेणी-3	17	17	05	06	45
		सं.शा.शि.श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक)	01	01	-	-	02
4.	जनपद पंचायत, चिचोली	सं.शा.शि.श्रेणी-3	17	16	05	06	44
		सं.शा.शि.श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक)	01	01	-	-	02
5.	जनपद पंचायत, भीमपुर	सं.शा.शि.श्रेणी-3	28	27	09	10	74
		सं.शा.शि.श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक)	01	-	-	-	01
6.	जनपद पंचायत, भैंसदेही	सं.शा.शि.श्रेणी-3	16	15	08	08	47
		सं.शा.शि.श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक)	02	01	-	-	03
7.	जनपद पंचायत, आठनेर	सं.शा.शि.श्रेणी-3	11	11	04	04	30
		सं.शा.शि.श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक)	01	01	-	-	02
8.	जनपद पंचायत, मुलताई	सं.शा.शि.श्रेणी-3	19	18	06	07	50
		सं.शा.शि.श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक)	03	01	01	01	06
9.	जनपद पंचायत, प्रभातपाट्टन	सं.शा.शि.श्रेणी-3	21	21	07	08	57
		सं.शा.शि.श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक)	01	01	-	-	02
10.	जनपद पंचायत, आमला	सं.शा.शि.श्रेणी-3	19	21	07	10	57
		सं.शा.शि.श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक)	01	-	-	-	01
11.	नगरपालिका परिषद, बैतूल	सं.शा.शि.श्रेणी-3	-	-	-	-	-
		सं.शा.शि.श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक)	04	03	02	01	10
		योग :-	**199**	**186**	**66**	**72**	**523**

2. मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) 2005/मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 के नियम-6 (7) (ख) के अनुसार आरक्षण निम्नानुसार होगा :- (अ) महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत, (ब) भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 प्रतिशत, (स) निःशक्त व्यक्तियों के लिए कंडिका-1 में वर्णित उपरोक्त पदों में से विभिन्न प्रवर्गों के लिये विकलांगों हेतु आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/डी/380/1773/05/आ.प्र./एक, दिनांक 24.03.06 के निम्नानुसार होगा :-

क्र.	जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय का नाम	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी	अनारक्षित		अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		कुल	
			दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित
1.	जनपद पंचायत, बैतूल	सं.शा.शि. श्रेणी-3	01	-	-	01	-	-	-	-	01	01
2.	जनपद पंचायत, शाहपुर	सं.शा.शि. श्रेणी-3	-	01	01	01	-	-	-	-	01	02
3.	जनपद पंचायत, चिचोली	सं.शा.शि. श्रेणी-3	01	01	-	01	-	-	-	-	01	02
4.	जनपद पंचायत, भीमपुर	सं.शा.शि. श्रेणी-3	-	01	01	-	-	01	-	01	01	03
5.	जनपद पंचायत, भैंसदेही	सं.शा.शि. श्रेणी-3	-	01	-	01	-	-	01	-	01	02
6.	जनपद पंचायत, आठनेर	सं.शा.शि. श्रेणी-3	01	-	-	01	-	-	-	-	01	01
7.	जनपद पंचायत, घोड़ाडोंगरी	सं.शा.शि. श्रेणी-3	01	01	-	01	-	-	-	-	01	02
8.	जनपद पंचायत, प्रभातपाट्टन	सं.शा.शि. श्रेणी-3	-	01	-	01	01	-	-	-	01	02
9.	जनपद पंचायत, आमला	सं.शा.शि. श्रेणी-3	-	-	01	-	-	01	-	01	01	02
10.	जनपद पंचायत, मुलताई	सं.शा.शि. श्रेणी-3	-	01	01	-	-	-	-	01	01	02
		सं.शा.शि. श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक)	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01
11.	नगर पालिका परिषद, बैतूल	सं.शा.शि. श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक)	-	-	01	-	-	-	-	-	01	-
	योग :-		**04**	**08**	**05**	**07**	**01**	**02**	**01**	**03**	**11**	**20**

(1) शैक्षणिक योग्यता एवं आयु :-

1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष,
2. न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु 35 वर्ष।

(2) अर्हतायें :-

1. वे ही अभ्यर्थी संविदा शाला शिक्षक के रूप में नियोजन हेतु संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को आवेदन दे सकेंगे, जिन्होंने संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में नियम-6 के उप नियम (5) के अनुसार न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किये हों।
2. अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों या किन्हीं अन्य वर्गों के लिये उच्चतर आयु सीमा में छूट, सरकार के ऐसे नियमों के अनुसार होगी जो नियोजन के समय प्रवृत्त हों।
3. महिला अभ्यार्थी के लिये अन्य छूट के अतिरिक्त उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी।
4. सरकार के तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों, सरकारी स्कूलों के लिये नियुक्त मानसेवी शिक्षकों, शिक्षा गारंटी स्कूल के गुरुजी एवं व्यावसायिक शिक्षा के अंशकालीन शिक्षकों को उनकी उच्चतम आयु सीमा (35 वर्ष) के पश्चात 12 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।
5. ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने संविदा शाला शिक्षक के रूप में कार्य किया है और जो संविदा शाला शिक्षक के नियोजन के लिये नए सिरे से आवेदन करेंगे, वे उच्चतम आयु में उतनी कालावधि की छूट के हकदार होंगे जितनी कालावधि के लिए उनके द्वारा पूर्व में संविदा शाला शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इस आधार पर यह छूट अधिकतम 9 वर्ष के लिये होगी बशर्ते उनकी संविदा असंतोषजनक कार्य के आधार पर समाप्त नहीं कर दी गई हो।
6. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को, जो या तो कार्यरत हों अथवा जिनकी राज्य सरकार द्वारा छटनी की गई हो, उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के बराबर उच्चतम आयु-सीमा में इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी कि अभ्यर्थी ने 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
7. न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना रिक्त पदों के विज्ञापित होने के कैलेण्डर वर्ष 1 जनवरी के संदर्भ में की जाएगी।
8. संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए नियम की अनुसूची-2 के कॉलम (7) की अभ्युक्तियों में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं संविदा शाला शिक्षकों के अन्य तत्स्थानी पदों के लिये भी स्वीकार्य होंगी।

(3) निरर्हताएं :- म.प्र. पंचायत, संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005/मध्यप्रदेश

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 की अनुसूची-दो का नोट (ख) निरर्हताएं- में प्रावधानित नियमों के अनुसार होगी।

(4) संविदा पारिश्रमिक :- नियम, 2005 की अनुसूची-एक के अनुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के लिये संविदा पारिश्रमिक (समेकित तथा प्रथम नियुक्ति पर नियत) रुपये 2500/- देय हैं।

(5) अंतिम चयन सूची से नियोजन एवं संविदा :- म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005/ मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 के नियम-6 के बिन्दु क्रमांक 1 से 6 तक के अनुसार होगी।

(6) चयन का मापदण्ड :- म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005/ मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 तथा संशोधित नियम, 2008 के नियम-6 के उप नियम (9) (क), (ग) एवं (घ) के अनुसार।

(7) संविदा नियोजन की कालावधि एवं संविदा कालावधि में वृद्धि :- "संविदा शाला शिक्षक" के पद के लिये चयनित प्रत्येक व्यक्ति, किसी विशिष्ट स्कूल के लिये अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिये संविदा पर नियोजित किया जायेगा। उससे इन नियमों में संलग्न परिशिष्ट में विहित किये गये प्रारूप में संविदा करने की अपेक्षा की जायेगी। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये नियोजनकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संविदा शाला शिक्षक के कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन यथा विहित प्रारूप में संधारित किया जाएगा : परंतु सरकार के निर्देश पर चयनित व्यक्ति का नियोजन आवश्यकतानुसार तीन वर्ष से कम की कालावधि के लिये किया जा सकेगा एवं उसकी संविदा की कालावधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। संविदा कालावधि में वृद्धि नियम, 2005 के नियम-9 के अधीन होगी।

(8) पिछड़ी आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध :- नियम, 2005 के नियम-7 के अनुसार होंगे।

(9) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि :- आवेदन पत्र **दिनांक 19.06.2009** तक संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, **जनपद पंचायत/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैतूल के कार्यालय में कार्यालयीन समय** में प्राप्त होना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा तथा डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

(10) अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन :- अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन दिनांक 03.07.2009 को संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के सूचना फलक पर किया जावेगा।

(11) आपत्तियों का प्राप्त करना :- यदि किसी अभ्यर्थी को अनंतिम चयन सूची के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह उक्त सूची के प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर कलेक्टर को आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेगा। आपत्तियों का निराकरण नियम-11 के अनुसार किया जावेगा।

(12) अंतिम चयन सूची का प्रकाशन :- अंतिम चयन सूची का प्रकाशन दिनांक 29.07.2009 को संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के सूचना फलक पर किया जावेगा।

(13) एकीकृत काउंसिलिंग :- जिला मुख्यालय पर एकीकृत काउंसिलिंग जिला कलेक्टर के समन्वय में नियोजनकर्ता प्राधिकारी के माध्यम से दिनांक 08.08.2009 से दिनांक 18.8.2009 के मध्य की जावेगी एवं मौका स्थल पर नियुक्ति एवं संविदा की कार्यवाही संपन्न होगी।

(14) प्रक्रिया शुल्क :-
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना है। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यार्थियों को आवेदन-पत्र के साथ प्रक्रिया शुल्क रुपये 50/- का बैंक ड्राफ्ट अथवा पोस्टल आर्डर जो संबंधित **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैतूल** के नाम देय हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। प्रक्रिया शुल्क की राशि संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के कार्यालय में नगद जमा कर रसीद प्राप्त की जा सकती है। नगद राशि जमा करने पर रसीद की मूल प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(15) विकलांग अभ्यार्थी को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसमें विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो।

(16) आवेदक ने व्यापम पात्रता परीक्षा जिस जाति प्रवर्ग में उत्तीर्ण की है, उस जाति प्रवर्ग का सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(17) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 एवं संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक) के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र देना होगा।

(18) जन्मतिथि की पुष्टि हेतु हाईस्कूल की सत्यापित अंकसूची आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(19) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक) के पद के लिए आवेदन-पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र के अलावा मान्यता प्राप्त व्यायाम शिक्षण संस्थान से डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र अथवा उपाधि की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(20) विज्ञापन में दर्शायी गई रिक्तियां कम या अधिक हो सकती हैं।

टीप: आवेदन पत्र संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संबंधित निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सीधे भेजना हैं। कार्यालय जिला पंचायत, बैतूल में आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, बैतूल

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3/संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक) के लिए आवेदन पत्र

(प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा)

आवेदन-पत्र सहित संलग्नों की कुल पृष्ठ संख्या :- [ ]

4x6 cm
आकार का
ब्लैक एण्ड
व्हाईट फोटो

प्रति,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत.................. जिला बैतूल
मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, बैतूल
जिला बैतूल

विषय :- संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3/संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक) के लिए आवेदन-पत्र।

1. आवेदक का नाम : श्री/श्रीमती/कुमारी ....
2. पिता/पति का नाम : श्री ....
3. प्रवर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग Primitive Tribes) ....
4. विकलांग : हाँ/नहीं
5. भूतपूर्व सैनिक : हाँ/नहीं
6. जन्मतिथि : अंकों में ....
   शब्दों में ....
   (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
7. पता : ....
   (पत्र व्यवहार के लिए) ग्राम ....वार्ड ....मोहल्ला ....
   थाना ....पोस्ट ऑफिस ....
   जिला ....दूरभाष क्रमांक ....
8. स्थायी पता : ....
   ग्राम ....वार्ड ....मोहल्ला ....
   थाना ....पोस्ट ऑफिस ....
   जिला ....दूरभाष क्रमांक ....
9. गृह जिला : ....
10. (1) वैवाहिक स्थिति : विवाहित/अविवाहित ....
    (2) विवाहित होने की स्थिति में विवाह की दिनांक : ....
11. विवाहित होने की स्थिति में बच्चों की संख्या : ....
12. दो से अधिक बच्चे होने पर क्या तीसरे बच्चे का जन्म 26.01.01 के पश्चात् हुआ है? : हाँ/नहीं
13. शैक्षणिक योग्यताएँ हाईस्कूल (10वीं) से प्रारंभ करते हुए (कालक्रमानुसार) :-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय	लिए गए तीन मुख्य विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

14. प्रशिक्षण संबंधी योग्यताएँ (बी.एड./बी.टी.सी./बी.एड.-विशेष शिक्षा/डी.एड./डी.एस.ई.सी.पी.एड./बी.पी.एड./डी.पी.एड./एम.पी.एड.)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय/ प्रमाण पत्र जारी करने वाला संस्थान	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

15. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा का विवरण :-

स.	संविदा शाला शिक्षक			पूर्णांक	प्राप्तांक
क्र.	श्रेणी	अनुक्रमांक	विषय/विषय समूह		
1	2	3	4	5	6

16. प्रक्रिया शुल्क का विवरण :- ....
    (अनु. जाति/अनु.ज.जा. के अभ्यार्थियों को छोड़कर)

स्थान :-

दिनांक :- **हस्ताक्षर आवेदक**.................................

नाम..

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूँ कि, 1. इस आवेदन में दी गई जानकारी और ब्यौरा मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है, और अगर आगे चलकर आवेदन-पत्र में भरा गया कोई भी ब्यौरा असत्य पाया गया, तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन रद्द/समाप्त समझी जायेगी। 2. मेरे विरुद्ध कोई प्रकरण पुलिस थाना/न्यायालय में लंबित नहीं है, न ही मुझे किसी भी प्रकार के दण्ड से दण्डादिष्ट किया गया है। 3. मैं दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् तीसरे, जीवित बच्चे का माता/पिता नहीं बनी/बना हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं दिनांक
(पूरा नाम..........................)

संलग्नों का विवरण :-
(i) जन्मतिथि प्रमाणीकरण संबंधी प्रमाण-पत्र।
(ii) शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र (हाईस्कूल के पश्चात्)।
(iii) प्रशिक्षण योग्यता/व्यायाम शिक्षण संस्थान संबंधी प्रमाण-पत्र।
(iv) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
(v) सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र।
(vi) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।
(vii) विकलांग उम्मीदवार का जिला मेडिकल बोर्ड प्रमाण-पत्र।
(vii) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण-पत्र।
(ix) तीसरे बच्चे के होने की स्थिति में तीसरे बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
(x) प्रक्रिया शुल्क से संबंधित बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/नगद जमा रसीद संलग्न करें।

आर-674/2009